केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES
WELFARE HOUSING ORGANISATION
(Ministry of Housing & Urban Affairs, Govt. of India)
(An ISO 9001-2015 Organisation)

छठा तल, ए खण्ड, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली–110 001
दूरभाष: 23739722 / 23717249 / 23355408
फैक्स : 23717250

6th Floor, 'A' Wing, Janpath Bhawan,
Janpath, New Delhi - 110 001
Phones : 23739722 / 23717249 / 23355408
Fax : 23717250
E-mail : cgewho@nic.in

वेब–प्रकाशित

पत्रांक : टी–508/4

13 अगस्त, 2021

विषय : ग्रेटर नोएडा (चरण–1) आवासीय परियोजना।

महोदय,

आप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की ग्रेटर नोएडा आवासीय परियोजना के एक सम्मानित लाभार्थी होने के नाते हम आपके समर्थन और विश्वास के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने समय–समय पर जिन बिन्दुओं पर अपना ध्यान आकर्षित किया है, उसका बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नवार है:–

i) ग्रेटर नोएडा (चरण–1) आवासीय परियोजना प्रारंभिक रूप से केवल पंजीकरण के लिए खोली गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 03 मार्च 2011 थी, जिसमें केवल पंजीकरण राशि की मॉग की गई थी। विज्ञापन में, इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि वैधानिक प्राधिकरण से फर्श अनुपात अनुमोदन और वास्तुकार सलाहकार/निर्माण एजेंसियों के चयन के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

ii) वर्ष 2012 में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रेनेडा) से फर्श अनुपात की खरीद और अक्टूबर 2013 में वास्तुकार सलाहकारों के चयन के बाद आवंटन–सह–मॉग पत्र जुलाई 2014 में सभी लाभार्थियों और पंजीकर्ताओं को एक विकल्प के साथ भेजा गया जो पंजीकर्ता योजना से निकलना (Withdrawal) चाहता है उन्हें उसकी जमा धरोहर राशि पर ड्रा की तिथि से निकासी (Withdrawal) या पत्र जारी होने के 45 दिनों के अन्दर, जो भी पहले हो पर 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा और जो लाभार्थी सीजीईडब्ल्यूएचओ के साथ योजना के अंत तक रहेंगे, उन्हें 6.5% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

iii) तदनुसार, वास्तुकार सलाहकार और सिविल ठेकेदारों की नियुक्ति के बाद नवम्बर 2015 के महीने में सीजीईडब्ल्यूएचओ नियमों का विवरण देने वाली योजना विवरणिका जारी की गई थी, जिसमें आवासीय इकाइयों की अस्थाई लागत के साथ–साथ निर्माण कार्यक्रम भी

दर्शाया गया था। परियोजना की दूसरी किस्त की अंतिम तिथि से 48 महीने के भीतर पूरा किया जाना था, जो कि 09.12.2020 को अस्थाई रूप से निर्धारित की गई थी।

iv) परियोजना के चलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, अन्य बाधाओं और 2020 और 2021 में कोविड़ महामारी के बची दो लॉक डाउन के कारण 419 दिनों का विलम्ब है। पहले लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 के दौरान कोविड़ महामारी के लिए यूपीरेरा ने अगस्त 2021 तक का विस्तार दिया है। इसके अलावा वर्ष 2021 के दौरान दूसरे लॉकडाउन के लिए यूपीरेरा से विस्तार अभी भी प्रतीक्षित है।

v) हालांकि, उपरोक्त व्यवधानों के बावजूद दिसम्बर 2021 तक परियोजना को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, वशर्ते कार्य परिस्थितियॉ अनुकूल हों।

vi) इस बीच अंतिम लागत पर काम चल रहा है और सभी लाभार्थियों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा (वाणिज्यिक परिसर/नर्सिंग होम/नर्सरी स्कूल की ई–नीलामी शीघ्र ही की जाएगी।

vii) लंबित कार्यों की अवलोकन के सम्बंध में लाभार्थियों को भौतिक कब्जा देने के समय तक पूरा कर लिया जाएगा।

2. यह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(गगन गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी)
कृते मुख्य कार्यकारी अधिकारी